उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड
UTTAR PRADESH JAL VIDYUT NIGAM LIMITED

(A U.P. Govt. Enterprise)

Save Energy for Benefit of Self and Nation

स्वहित एवं राष्ट्रहित में बिजली बचाएं

CIN : U31901UP1985SGC007135

Registered/Corporate Office:
12th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14- Ashok Marg, Lucknow- 226001
Phone: 0522-2287037
FAX No. : 0522- 2287701 Ext. 4653

रजिस्टर्ड / कारपोरेट कार्यालय :
12वां तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
फोन: 0522–2287037
फैक्स नं0 : 0522–2287701 वि.नं.–4653

संख्या: 1220 /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/22–20(51)/2006 (वा0–3) दिनांक: 10,मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से पारित प्रस्ताव के निर्णयानुसार निगम में अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी अधिकारों का निम्नानुसार प्रतिनिधायन किया जाता है :–

क्र0सं0	पद	प्रतिनिधायन
1.	समूह–'क' एवं 'ख' के पदों के सन्दर्भ में अभियंत्रण संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य संवर्गो में समकक्ष स्तर तक के अधिकारी	अभियंत्रण संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य संवर्गो में समकक्ष स्तर तक के अधिकारियों के सम्बन्ध में समस्त अनुशासनिक एवं प्रशासनिक अधिकार (सेवा समाप्ति (Dismissal) के अधिकार को छोड़कर) प्रबन्ध निदेशक को प्रदान किया जाता है। इसके फलस्वरूप प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 इन कार्मिकों के स्थानान्तरण, लघु दण्ड/बृहद दण्ड एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम होंगे। उक्त अधिकारों के प्रतिनिधायन के पश्चात् भी उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के किसी भी प्रकरण हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 को अनुशासनिक प्राधिकारी नामित करने हेतु अध्यक्ष/अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 सक्षम होंगे। जिन प्रकरणों में बृहद दण्ड दिया जाता है, उन्हें निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
2.	अभियंत्रण संवर्ग में मुख्य अभियन्ता एवं अन्य संवर्गो में समकक्ष स्तर के अधिकारी	उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में अध्यक्ष/अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक को अभियंत्रण संवर्ग में मुख्य अभियन्ता एवं अन्य संवर्गो में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के सम्बन्ध में समस्त अनुशासनिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया जाता है। अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप बृहद दण्ड की स्थिति में, इसे निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1220 /का0 एवं प्रशा0/जविनिलि0/22–20(51)/2006 (वा0–3) तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव।

3– निदेशक (तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

4– मुख्य अभियन्ता (परि0 एवं अनु0)/(एम0पी0एस0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

5– उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।

6– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को उनके डायरी सं0–3047/सी0एस0/2022 दिनांक 07.05.2022 के सन्दर्भ में।

7– अधिशासी अभियन्ता (मु0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

8– कट फाइल।

10/5/2022

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
उपमहाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0)